# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 37/2021

| अपीलान्ट्स | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| 1 जालमसिंह पुत्र भंवरसिंह<br>2 पप्पुसिंह उर्फ पदमसिंह पुत्र जालमसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण भावण्डा तहसील खींवसर जिला नागौर। | | तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर। |

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांकः 20.06.2022

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 72/2021 सरकार बनाम जालमसिंह व अन्य में निर्णय दिनांक 10.08.2021 के तहत मौजा भावण्डा के खसरा नं. 486 गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 29.09.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 10.08.2021 की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार खींवसर के प्रकरण संख्या 72/21 सरकार बनाम जालमसिंह व अन्य के फर्द अहकाम दिनांक 09.02.21 से 10.08.21 तक की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति तथा दो शपथ पत्र पेश किये।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि जैर अपील आदेश की अपीलान्ट्स को कोई जानकारी नहीं हुई तथा अपीलान्ट्स के अधिवक्ता ने बताया कि आदेश होने पर सूचित कर दिया जायेगा तथा अपीलान्ट्स ने अधिवक्ता के विश्वास पर पेशियों पर नहीं आये। फिर दिनांक 12.09.21 को पटवारी मौके पर आया और मौके से बेदखल करने का कहा, तब अपीलान्ट दिनांक 13.09.21 को अपने अधिवक्ता के पास गया व नकल हेतु दिनांक 20.09.21 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। फिर दिनाक 21.09.21 को अपील तैयार करवाई और अन्दर मियाद अपील पेश की। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–जैर अपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वातों के खिलाफ है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी से अप्रार्थीगण को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया और बयानों के बाद अप्रार्थी अपीलांट को गवाह आदि पेश करने का अवसर नहीं दिया और न ही सुनवाई की गई तथा न ही अपीलान्ट जालमसिंह को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया एवं एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अतः आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(II)– पटवारी ने गांव की राजनैतिक पार्टी बाजी की वजह से झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार की। क्योंकि अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि जिस जगह अपीलान्ट का कब्जा बताया जा रहा है वहां पर अपीलान्ट स्वयं के खातेदारी की भूमि है तथा पटवारी बिना सीमाज्ञान किये झूठी व मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई है तथा झूठी व मिथ्या रिपोर्ट की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने



अपर कलक्टर, नागौर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान करवाकर सीमा माठ कायम करने का भी निवेदन किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमाज्ञान करवाये मात्र पटवारी की मिथ्या व झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिक्रमी घोषित करने में आनन्य रूप से बडी भारी भूल की है। जो आदेश निरस्तनीय है।

{2}(III)–खसरा नम्बर 486 गैर मु. मगरा है जो आवंटन योग्य भूमि है जिस जगह अतिक्रमण होना बताया गया उस भूमि पर पीढियो पुराना कब्जा रहता चला आया है जो अपीलान्ट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 488 भूमि का ही भाग है अगर खातेदारी के भूमि का भाग भी नहीं माना जाता है तो भी उक्त पुराने कब्जे के आधार पर आंवटन किये जाने योग्य भूमि है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 09.02.21 की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना है जबकि पटवारी ने रिपोर्ट में अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी होने के संबंध में कोई अंकन नहीं किया हुआ है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)– अपीलांट्स ने इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया है कि हमारा कथित मगरा भूमि के किसी भी भी भूभाग पर कोई अतिक्रमण नही है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा भावण्डा में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि गै.मु. मगरा राजकीय भूमि है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भावण्डा के खसरा नंबर 486 गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलांट्स द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लेने तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है तथा अपीलांट 85 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट्स ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलान्ट्स का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया )
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर